न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर

M.T.A. 02/2015

एफ0सी0आई0.....अपीलाण्ट

वनाम्

दोरंगी मंडल एवं अन्य.....रेसपाण्डेट

आ दे श

04-2-2019 आज अभिलेख में आवेदिका उमा गुप्ता के आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) व धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांक 22.09.2018 पर आदेश हेत तिथि निश्चित है। आवेदिका अपने आवेदन पत्र में कही है कि एक बेनी माधव साह थे, जो स्वत्व वाद 65/85 मुंसिफ के न्यायालय में लाये थे। वाद डिक्री हुआ, इसी बीच बेनी माधव साह कि मृत्यु हो गई, वे एक पुत्र जय कांत साह व आवेदिका पुत्री को छोड़कर मरे। शादी के पश्चात् आवेदिका अपने ससुराल चली गई। कभी कभी मायके आती है। आवेदिका को पूर्व में स्वत्व वाद 65/85 कि जानकारी नहीं थीं। आवेदिका के पिता जनवरी 2010 में मरे। जय कांत साह से पूरे मामले कि जानकारी हुई। जय कांत साह पूर्व से इस वाद में पक्ष है। आवेदिका पक्ष नहीं है। आवेदिका के पिता एफ0सी0आई0 में कार्य करते थे, उन्हें हटा दिया गया। उनके पिता इसी बात कि चुनौती स्वत्व वाद में दिये थे। स्वत्व वाद में डिक्री हुआ। आवेदिका मृतक कि कानूनी वारिस है, वह पिता कि सम्पत्ति में हिस्सेदार है। इस वाद में भी वो आवश्यक पक्ष है। आवेदिका को पक्ष बनाया जाय।

रेसपाण्डेंट प्रथम पक्ष के तरफ से उक्त आवेदन पत्र का प्रतिउत्तर दिया गया। इसमें कहा गया कि बेनी मंडल के पुत्र जय कांत साह पूर्व से इस वाद में पक्ष है। यह मामला नियुक्ति से सम्बन्धित है। आवेदिका आवश्यक पक्ष नही है। उनका आवेदन खारीज किया जाय।

उपरोक्त आवेदिका के साथी एक अन्य आवेदक सुबोध साह जो बेनी माधव के पुत्र है, वो रीता देवी जो बेनी माधव कि पुतहु है। दिनांक 30.06.2017 को आदेश 01 नियम 10 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत आवेदन पत्र देकर पक्ष बनने का निवेदन किये थे। सभी आवेदन पत्रों का विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का परीशीलन किया। अभिलेख परीशीलन से ज्ञात होता है कि मृतक बेनी माधव Food Corporation of India के अन्तर्गत डिपो मुंगेर में अस्थायी कर्मचारी थे, जो दैनिक मजदूरी पर काम करते थे। इनकी नियुक्ति डिपो इंचार्ज एफ0सी0आई0 मुंगेर द्वारा कि गई थी, और उस समय पश्चात् मृतक बेनी माधव के साथ साथ अन्य लोगो को भी हटा दिया गया, जिसको बेनी माधव सहित अन्य लोग मुंसिफ मुंगेर के न्यायालय स्वत्व वाद 65/85 के द्वारा चुनौती दिये थे, जहॉ वादीगण का वाद डिक्री हुआ, तब एफ0सी0आई0 द्वारा यह अपील दाखिल किया गया

है। यहॉ पर यह विचार होना है कि बेनी माधव सहित अन्य लोग सिविल कोर्ट में चुनौती दे सकते थे या नहीं। उन्हें स्थायी कर्मचारी कि तरह लाभ मिल सकता था या नहीं इस सम्बन्ध में नीचली अदालत का निर्णय सही है या नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि यहॉ स्वत्व का कोई विषय नहीं है। अगर निचली अदालत का फैसला सही होगा तो मृतक बेनी माधव को कोई लाभ मिल सकता है, लाभ मिलने कि स्थिति में उनके वारीसान कोई दावा कर सकते है। अभी इस स्तर पर आवेदकगण इस वाद में न तो आवश्यक पक्ष है, और न ही उचित पक्ष है। मृतक के तरफ से पैरवी करने के लिए उनके एक पुत्र जय कांत साह इस वाद में पक्ष है, जो उनके तरफ से न्यायालय में मामले को रख सकते है। आवेदकगण का आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है। दोनो पक्ष न्यायालय में बहस के लिए तैयार होकर आये।

वाद दिनांक 15.02.2019 वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
मुंगेर
04-2-2019